न्यायालय रास्व अपील प्राधिकारी. हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या—005/2013/223 आर टी ए

1.हनुमान पुत्र लिखमाराम जाति अहीर साकिन भोजासर तहसील0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

2.बलवान पुत्र लिखमाराम जाति अहीर साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3.टेकचन्द पुत्र लिखमाराम जाति अहीर साकिन अहीर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4.वेदप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाति अहीर साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

———अपीलान्ट

बनाम

1.मोहन लाल पुत्र श्री लिखमाराम जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1—विमला देवी पत्नी लिखमाराम जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

1/2—सुमित्रा पुत्री लिखमाराम जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/2/1 टैनी उर्फ मनजीत पुत्र सुमित्रा गांव गोवाण, तहसील भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा।

1/2/2 अंजनी पुत्री सुमित्रा अलखपुर तहसील बवानीखेड़ा जिला भिवाणी।

1/3 सुशीला पत्नी वीरसिंह पुत्री मोहनलाल जाति यादव गांव गोवाण, तहसील भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा।

1/4 कौशल्या पत्नी सतवरी पुत्री मोहन लाल जाति यादव गांव गोवाण, तहसील भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा।

1/5 नशीला पत्नी विजेन्द्र पुत्री मोहन लाल जाति यादव गांव जमावड़ी तहसील हांसी जिला हिसार।

1/6 कमीला पत्नी संदीप पुत्री मोहन लाल जाति यादव गांव ढ़ाणी महण्डा तहसील हांसी जिला हिसार।

2.कृष्ण पुत्र लिलाधर जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3.लालचंद पुत्र लिलाधर जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

4.सरोज देवी पुत्री लिलाधर पत्नी सतवरी पुत्र चेतराम जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल खरखेड़ा जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

5.कान्ता देवी पुत्री लिलाधर पत्नी रमेश पुत्र जगमाल जाति यादव साकिन भोजासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल खांदवा तह0 भुवाना जिला झूझूनु।

6.मैना देवी पत्नी स्व0 लिलाधर जाति यादव साकिन भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

7.तहसील भादरा तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

8.सचिव सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नोहर जिला हनुमानगढ़

9.कृष्णा पुत्री लिखमाराम

10.सन्तोष पुत्री लिखमाराम जाति जाट साकिन भोजासर तहसील

11.आमी उर्फ ओमपति पुत्री लिखमाराम भादरा जिला हनुमानगढ़

12. पिन्नी पुत्री लिखमाराम ———रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2012 न्यायालय सहायक कलक्टर भादरा प्रकरण संख्या 775/2002 बअनवानी मोहन लाल आदि बनाम आदराम आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री विजय कड़वासरा रेस्पो0

निर्णय दिनांक 20.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि वादग्रस्त उनके द्वारा खरीद की गई होने के आधार पर उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलान्ट प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रतिदावा मय कान्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि जरिये वसीयत उनके नाम अभिलेख में दर्ज होने से एवं बैयनामा प्रभाव शुन्य होने एवं केता मोहन लाल व लिलाधर नाबालिग होने के कारण प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदीगई होने का आधार लेते हुए बैयनामे के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर भूमि का नामातंकरण वादीगण अपने हक में करवाने से निषेध रहने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा चाहते हुए प्रतिवादीगण के कब्जा में दंखलदाजी नहीं करने हेतू उदघोषणा चाही जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये वाद वादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलान्टस ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित कथनो दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट/प्रतिवीगण संख्या 1 ता 4 ने जवाबदावा की मद संख्या 13 में यह कथन किये है कि बैयनामा के वक्त वादी मोहन लाल 11 वर्ष व लिलाधर 10 वर्ष की आयु के थे तथा वादीगण मोहन लाल व लिलाधर प्रतिवादीगण/अपीलान्टस के सगे भाई थे तथा संयुक्त हिन्दू परिवार था इसलिए प्रश्नगत भूमि हिन्दू परिवार की आय से अर्जित की गई होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि के तनाह मालिक न होकर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 संयुक्त रूप से मालिक बनते है इस कथनो की इनकारी वादीगण द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए स्वीकृत तथ्य होने की सूरत में दावा किसी सूरत में डिकी योग्य नहीं था राजस्व अभिलेख व मौखिक साक्ष्य से कब्जा भी अपीलान्ट का सिद्ध है जिसका विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया एवं फौजदारी प्रकरण में पारित अवधारणा के आधार पर गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर दावा काबिल खारिजी है एवं काउन्टर क्लेम अपीलान्ट डिकी किये जाने योग्य है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1993 आर आर डी पेज 193 व 1958 आर0 आर0 डी0 पेज 1 तथा 2011–12 आर आर टी पेज 662 व 2004 आर बी जे पेज 556 एस. सी0 तथा 2018 आर आर डी पेज 115 डी0 बी0 व 1989 आर आर डी पेज 334 डी बी प्रस्तुत की।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकी वार निर्णय करके पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का विवेचन विश्लेशष कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है धारा 88

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के वाद हेतू कोई मियाद निर्धारित नहीं है एवं प्रतिकूल धारण के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है चूँकि बैयनामा प्रश्नगत वसीयत से पूर्व का है इसलिए पूर्व का रजिस्टर्ड दस्तावेज ही प्रीवेल करेगा। वसीयत के रोज आदराम को किसी प्रकार का कोई अधिकार अर्जित ही नहीं था चूँकि वह अपनी भूमि वसीयत करने से पूर्व ही विकय कर चुका था वसीयत के आधार पर अभिलेख में दर्ज म्यूटेशन से अपीलान्टस को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते म्यूटेशन एक मिनिस्टीरियल प्रकिया है जिससे अपीलान्टस को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है इसलिए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है जो खारिज की जावे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में आर बी जे 2015 पेज 363, आर आर डी 2018 पेज 420, 2011–12 आर आर टी पेज 498, 1989 आर आर डी पेज 1992 आर आर टी 2011 पेज 721, 2017 आर बी जे पेज 207 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्व आदराम, व तहसीलदार एवं हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नोहर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें आदराम के फौत होने पर उसके द्वारा वसीयत लिखमाराम के वारिसान मौजुदा अपीलान्ट के नाम करने पर वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 कमशः है हनुमान, बलवान, टेकचंद, वेदप्रकाश पि0 लिखमाराम को जरिये संशाधित वादपत्र पक्षकार बनाया गया एवं जरिये संशोधित वादपत्र अपीलान्टस के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया। वर्तमान अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादीगण डिकी करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन करते हुए वादग्रस्त आराजी को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में डिकी किये जाने के मुख्य आधार यह लिये है कि वादी मोहन लाल एवं वादीगण संख्या 2 ता 6 के पिता/पति के पक्ष

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

ने 1967 में हुए बैयनामे और इस बैयनामे में किए गये अंकन को आधार माना है। प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में अपना कब्जा एवं अपने नाम वसीयत के आधार पर खातेदारी दर्ज होना माना है तथा साथ ही वादग्रस्त भूमि को मूल खातेदार आदराम, जो कि वादीगण मोहनलाल, लिलाधर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का चाचा था, द्वारा मोहन लाल और लिलाधर के पक्ष में उनकी बाल्यावस्था में की गई रजिस्ट्री को परिवार की संयुक्त आय से खरीदे जाने एवं सभी भाईयों की इस भूमि पर काश्त होना एवं हक होना भी काउन्टर क्लेम में अंकित किया है। जहां तक प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है पक्षकारान द्वारा दावे व जवाबदावे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि संशोधित वाद से वादीगण व प्रतिवादीगण के चाचा आदराम के नाम खातेदारी भूमि थी। इस भूमि का वादी मोहन लाल एवं वादीगण संख्या 2 ता 6 के पिता/पति लिलाधर एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 सगे भाई है आदराम सन् 1967 में मोहन लाल एवं लिलाधर के पक्ष में रजिस्ट्री करवाई जिसके आधार पर मोहनलाल व लिलाधर के पक्ष में म्यूटेशन दर्ज नहीं हुआ, भूमि आदराम के नाम ही चलती रही। आदराम ने भूमि पर सहकारी बैंक से ऋण लिया जिस पर फौजदारी प्रकरण दर्ज होकर निर्णय हुआ। निर्णय में आदराम को फौजदारी प्रकरण में बैंक से लोन लेना गलत माना है। इसके अलावा 1987 में आदराम द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयत करवाई गई जिसके आधार पर आदराम की मृत्यू के पश्चात प्रतिवादीगण/अपीलान्ट के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज कर दी गई। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा कलमजन कर वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा 1967 की रजिस्ट्री को ही आधार मानते हुए वादीगण के पक्ष में निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के ब्यानात दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस समय 1967 में रजिस्ट्री करवाई गई उस समय मोहन लाल व लीलाधर बालिग नहीं थे तथा ये भी तथ्य आया है कि वादीगण के पिता द्वारा संयुक्त परिवार की आय से प्रश्नगत भूमि खरीद की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकरण के आधार पर ही निर्णय किया है। इस वाद में दोनो पक्षो की मौखिक साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया जिस समय भूमि खरीदी गई थी। उस समय परिवार के सभी सदस्य शामिल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

संयुक्त रूप से रहते थे। इस तथ्य को भी विचारण न्यायालय के द्वारा नहीं देखा गया। जब वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1967 में नाबालिग थे एवं वादीगण की अलग से आय नहीं थी तो संयुक्त परिवार की आय से भूमि खरीदा जाना स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में जो ब्यान पत्रावली पर उपलब्ध है उनका भी विधि पूर्वक परीक्षण नहीं किया गया तथा ना ही काउन्टर क्लेम को खारिज किये जाने के स्पष्ट आधार निर्णय में अंकित किये है। काउन्टर क्लेम में जो आधार बताये गये है उन आधारो पर परीक्षण न्यायालय ने बिल्कुल भी नहीं देखा। जबकि अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार फौजदारी प्रकरणो में दी गई फाईडिंग राजस्व न्यायालय के निर्णय का आधार नहीं हो सकता है। साथ ही 2004 आर बी जे पेज 556 एच0 सी0 में प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार काउन्टर क्लेम क्रास सूट की तरह माना जावेगा इसलिए विचारण न्यायालय को काउन्टर क्लेम को दावे की तरह ट्रीट करते हुए निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त इस प्रकरण की परिस्थतियों से भिन्न है।

अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2012 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दावा एवं प्रतिदावा दोनो के तथ्यों को पूर्ण परीक्षण के पश्चात एवं परिवार के सदस्यों/भाईयों के मध्य विवाद को दृष्टिगत रखते हुए पुनः परीक्षण करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय प्रसारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.02..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/19

मूल चन्द (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official